# कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

**पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य- 03/2025** **दिनांक 07/04/2025**

**सेवा में,**

**अपर पुलिस महानिदेशक,**

**वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।**

अपने पत्र संख्य़ाःवीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांकःजून 04,2020 व पत्र संख्याः41/6-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 06.04.2025** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

**01. थाना करण्डा गाजीपुर पुलिस द्वारा पिकअप वाहन में क्रूरता पूर्वक लादकर वध हेतु ले जाए जा रहे 12 राशि गोवंशीय पशु (बछड़े) किये गये बरामद।**

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत चौकी प्रभारी खिजिरपुर थाना करण्डा उ0नि0 बृजेश्वर यादव मय हमराह के द्वारा आज दिनांक 06.04.2025 को क्षेत्र भ्रमण व रात्रिगश्त के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग करते समय चाड़ीपुर तिराहे के पास सामने से आती हुई पिकप वाहन संख्या UP61BT8365 बोलेरो मैक्स को रोकने का इशारा किया गया तो पुलिस बल को देखकर पिकअप का चालक गाड़ी का फाटक खोलकर भाग निकला। जिसे उ0नि0 श्री बृजेश्वर यादव मय हमराह के द्वारा पीछा किया गया परन्तु पकड़ा नहीं जा सका। जिसके पश्चात् पिकअप वाहन उपरोक्त से 01 राशि मृत (बछड़ा) व 11 राशि जिन्दा (बछड़ा) को बोलेरो मैक्स में क्रूरता पूर्वक लादकर वध हेतु ले जाते हुए बरामदगी के सम्बन्ध में नियमानुसार मु0अ0सं0 44/2025 धारा 325 BNS व 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही।

जिन्दा गोवंश को गो आश्रय स्थल दाखिल किया गया तथा मृत बछड़े को उचित स्थान पर गड्ढा खोदकर दफनाया गया।

**नाम पता अभियुक्तगण व अपराधिक इतिहास-**

1. वाहन स्वामी पीर मुहम्मद पुत्र इलियास निवासी सहेड़ी थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर
2. वाहन संख्या UP61BT8365 का चालक नाम पता अज्ञात

- **मु0अ0सं0- 044/2025 धारा- 325 BNS व 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना करण्डा गाजीपुर**

**बरामदगी का विवरण–**

1.एक अदद पिकप वाहन संख्या UP61BT8365 बोलेरो मैक्स

2. 11 राशि जिन्दा गोवंश (बछड़ा)

3. 01 राशि मृत गोवंश (बछड़ा)

**02. थाना खानपुर पुलिस टीम द्वारा थानाक्षेत्रांतर्गत ग्राम उचौरी में हुए दोहरे हत्याकाण्ड से सम्बंधित 02 नफर सह-अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना खानपुर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मु0अ0सं0 94/25 धारा 191(2)/191(3)/190/103(1)/64(2) बीएनएस से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1. आफताब उर्फ गुड्डू पुत्र मुख्तार उम्र लगभग 50 वर्ष 2. इसरार पुत्र मुख्तार उम्र लगभग 58 वर्ष निवासी गण उचौरी थाना खानपुर गाजीपुर की गोपनीय पतारसी सुरागरसी की जा रही थी कि आज दिनांक 06.04.2025 को जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण जौनपुर बार्डर बेलहरी पतरही मार्ग से जा रहे हैं। जिन्हें पुलिस टीम द्वारा एकाएक दबिश देकर जौनपुर बार्डर बेलहरी पतरही मार्ग से अन्तर्गत धारा 103(1)/64(2) बीएनएस गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-**

1 . आफताब उर्फ गुड्डू पुत्र मुख्तार उम्र लगभग -50 वर्ष

2 . इसरार पुत्र मुख्तार उम्र लगभग 58 वर्ष

निवासीगण ग्राम उचौरी थाना खानपुर गाजीपुर

**गिरफ्तारी का दिनांक व स्थानः-**

दिनांक - 06.04.2025

स्थान- जौनपुर बार्डर बेलहरी पतरही मार्ग थाना खानपुर जनपद गाजीपुर

**पुलिस अधीक्षक**
**गाजीपुर**